



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया, (हनुमानगढ़)
ज़िला - हनुमानगढ़
जाति प्रमाण - पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.)/22444753713
दिनांक: 17-05-2022
आवेदक का आधार नम्बर: 217036213662
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या: 5116555517

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संत राम पुत्र/पुत्री श्री ओम प्रकाश, माता का नाम - श्रीमती गुरुभाल मती, गांव/नगर कोटी निवास, वार्ड न: - 4, संगरिया, हनुमानगढ़ जिला/डिवीज़न हनुमानगढ़ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 46 MEGHVAL (46 मेघवाल) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियों (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री संत राम गांव/नगर कोटी निवास, वार्ड न: - 4, संगरिया, हनुमानगढ़ जिला / डिवीज़न हनुमानगढ़ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

1. यहां प्रयोग सप्ताहभर: निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.वे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-टस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। टस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित टस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 220461385190

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया, हनुमानगढ़

Signature valid

Digitally signed by
RAMESH DEV
Date: 2022.05.17 16:50:57
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

EMJPPL 01834493

